



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 813]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 4, 2016/चैत्र 15, 1938

No. 813]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 4, 2016/ CHAITRA 15, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2016

का.आ. 1303(अ).— भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 418(अ), तारीख 9 फरवरी, 2016 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में सं. 358, तारीख 9 फरवरी, 2016 के तहत प्रकाशित की गई थी, की सारणी में कॉलम 3 में क्रम सं. 333 के सामने शब्द, अंक और अक्षर के लिए “पश्चिम बंगाल राज्य में रीनोक को बगराकोट से जोड़ने वाला” के लिए शब्द, अंक और अक्षर “पश्चिम बंगाल राज्य में बगराकोट को रीनोक से जोड़ने वाला” पढ़ा जाएगा।

[फा. सं. एनएच-14012/39/2015-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

टिप्पण : मूल अधिसूचना संख्या का.आ. 418(अ) तारीख 9 फरवरी, 2016 के तहत प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 4th April, 2016

S.O. 1303(E)—In the table to the notification number S.O. 418 (E) dated 9th February, 2016 of the Government of India, Ministry of Road Transport and Highways, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide issue number 358 dated 9th February, 2016, against serial number 333, in column 3 for the words, figures and letters “Bagrakot connecting Rhenok in the State of West Bengal”, the words, figures and letters “Bagrakot in the State of West Bengal connecting Rhenok” shall be read.

[F. No. NH-14012/39/2015-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Note: The principal notification was published vide number S.O. 418(E) dated 9th February, 2016.